न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर

बइजलास–सुनील कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. 81/2017

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
भंवरलाल पुत्र श्री सुगनाराम जाति कुम्हार निवासी गोगेलाव तह0 व जिला नागौर	1. राज्य जरिए जिलाधीश महोदय, नागौर 2. तहसीलदार नागौर।

उपस्थित :–
श्री नरेन्द्र सारस्वत, (वकील प्रार्थी)

आवेदन पत्र अधीन धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

::आदेश::

दिनांक :– .....

प्रार्थी ने आवेदन पत्र अधीन धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, प्रार्थी के खातेदारी कब्जे, काश्त की भूमि खसरा संख्या 1278/622 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा सिंघड़ में आई हुई है। नकल खतौनी तथा नक्शा प्रार्थना पत्र वे साथ पेश किया जा रहा है।

यह हैं कि खसरा संख्या 1278/622 मूल खसरा संख्या 622 से बना हुआ है। मूल खसरा संख्या 622 का रकबा 94 बीघा 12 बिस्वा है। मूल खसरा संख्या 622 रकबा 94 बीघा 12 बिस्वा प्रार्थी भंवरलाल, सुल्तान खां, भूरे खां तथा रतन राम के सह खातेदारी की भूमि थी इस सम्पूर्ण 94 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 31 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी के बंट हिस्से की, 31 बीघा 12 बिस्वा रता राम के बंट, हिस्से की 15 बीघा 10 बिस्वा सुल्तान खा के बट हिस्से की तथा 16 बीघा भूमि भूरे खां के बट हिस्से की भूमि रही है।

यह हैं कि मूल खसरा संख्या 622 की चारो माठे आज जहां पर कायम है वह सैकड़ो वर्षों से इसी स्थान पर रहती रही है। मूल खसरा संख्या 622 के पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में कटाण का रास्ता चलता है पूर्व दिशा की तरफ जो रास्ता चलता है उसकी बसरा संख्या 645 है तथा पश्चिम की तरफ चलने वाले कटाण रास्ते के खसरा संख्या 619 है यह दोनो रास्ते खसरा संख्या 622 के बाहर चलते रहे है और जहां मौके पर चल रहे है वहा पर पीढीयो से यह रास्ते रहे है। राजस्व नक्शे में इन दोनो रास्तों को खसरा संख्या 622 की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के बाहर दर्शाया हुआ है। खसरा संख्या 622 के अन्दर कभी भी रास्ता नहीं रहा और न आज दिन रास्ता है।

यह हैं कि मूल खसरा संख्या 622 के चारों खातेदारों ने आपसी सहमति से 94 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आपस में बन्ट कर लिया। विभाजन के अनुसार प्रार्थी के बन्ट में दक्षिणी पूर्वी तरफ की 31 बीघा 10 बिस्वा, रताराम के बन्ट में दक्षिणी पश्चिमी तरफ की 31 बीघा 12 बिस्वा सुल्तान खां के बन्ट में उत्तरी पश्चिमी 15 बीघा 10 बिस्वा तथा भूरे खां के बन्ट में उत्तरी पूर्वी 16 बीधा बन्ट में रखी गई। आवेदन के साथ संलग्न नक्शे में मूल खसरा संख्या 622 को क ख ग घ चिन्ह से

दिखाया गया है। प्रार्थी के बन्ट में जो भूमि रखी गई उसके नये खसरा संख्या 1278/622 दर्ज होकर प्रार्थी के नाम म्यूटेशन भरा जाकर प्राथी के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई। सुल्तान खां के बंट में जो भूमि रखी गई उसके नये खसरा संख्या 1276/622 दर्ज हुए तथा सुल्तान खा के नाम इसका म्यूटेशन भरा जाकर अलग से खातेदारी दर्ज हो गई इसी प्रकार पूरे खा के बट में जो भूमि आई के नये खसरा नम्बर 1277/622 तथा रता राम के बट में आई भूमि के खसरा संख्या 622 ही रहे तथा इन दोनों के नाम से इनके बंट की भूमि अलग से दर्ज हो गई।

यह हैं कि चारो खातेदारों के बीच भूमि का विभाजन होने के बाद भी राजस्व नक्शे में बंट के अनुसार तरमीम नहीं हुई है। आवेदन के साथ जो नक्शा पेश किया जा रहा है उसमे प्रार्थी के बंद, हिस्से खातेदारी, कब्जे की भूमि को अ चिन्ह से, रता राम की भूमि को 'ब' चिन्ह रो, सुल्तान खा के बट की भूमि को 'स चिन्ह से तथा भूरे खां के बंट की भूमि को द चिन्ह से दिखाया जा रहा तथा मूल खसरा संख्या 622 को संलग्न नक्शे में क ख ग घ चिन्ह से दिखाया गया है।

यह हैं कि राज्य सरकार की ओर से खसरा संख्या 622 के पूर्व दिशा में चल रहे कटाण रास्ते पर मुड़िया सड़क बनाये जाने हेतु राशि स्वीकृत हुई तब इस सड़क का निर्माण मूल खसरा संख्या 622 की पूर्वी सीमा के बाहर मौके पर चल रहे कटाण रास्ते पर मुडिया सड़क का निर्माण नहीं करवा कर मूल खसरा संख्या 622 में सड़क बनाने की जबरदस्ती की गई तथा प्रार्थी के खातेदारी कब्जे की भूमि खसरा संख्या 1278/622 की भूमि में सड़क निर्माण की धमकी दी जिस पर प्रार्थी ने माननीय सिविल न्यायालय (कख) की अदालत में प्रार्थी की भूमि में सड़क नहीं बनाये जाने हेतु वाद तथा अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत किया तथा मौका कमीशनर न्यायालय के आदेश से निए। मोका कमीशनर ने मौका देखकर मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफी के तैयार की जिसके अनुसार भी मूल खसरा संख्या 622 तथा वर्तमान में बने नये खसरा नम्बरो की भूमि में कोई रास्ता चलता हुआ मौके पर नहीं पाया गया तथा रास्ता प्राथी के खातेदारी कब्जे की भूमि खसरा संख्या 1278/622 की पूर्वी माठ के बाहर चलता हुआ पाया गया दोनो पक्षो की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बात की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की।

यह हैं कि प्रार्थी भंवरलाल के खेत में से किसी प्रकार की सड़क का निर्माण नहीं किया जाये। इस आदेश की कुछ दिन तो पालना की गई मगर अक्समात छुट्टी के दिन तहसीलदार नागौर ने प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1278/622 की भूमि की पूर्वी माठ पर प्रार्थी की रोपी हुई पट्टियो व तारबन्दी में तोडफोड की तथा प्रार्थी की भूमि में रास्ता व सडक निकालने का असफल प्रयास किया जिस पर प्रार्थी को तेहसीलदार वगैरा के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही करनी पड़ी जो विचाराधीन है।

यह हैं कि तेहसीलदार द्वारा बार बार बताया जा रहा है कि राजस्व नक्शे में दर्शित पूर्व दिशा वाला रास्ता खसरा संख्या 645 नाप से प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1278/622 में आ रहा है इसलिए रास्ता प्रार्थी की भूमि के बाहर चल रहा है तो भी सड़क का निर्माण प्रार्थी की खातेदारी कब्जे की भूमि के अन्दर बनानी पड़ेगी।

अन्त में इस्तदुआ कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम सींगड़ के प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1278/622 (मूल खसर नम्बर 622) रकबा 31–10 बीघा भूमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार नाप चौप कर सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश फरमावै ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि की सीमा को लेकर बार–बार विवाद उत्पन्न हो रहे है। इसलिए प्रार्थी की खातेदारी भूमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का आदेश प्रदान करावें।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उलब्ध समस्त दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार नागौर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम सींगड़ के प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1278/622 (मूल खसर नम्बर 622) रकबा 31–10 बीघा भूमि का राजस्व रेकर्ड अनुसार नाप चौप कर सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवायी जावे। इस हेतु तहसीलदार नागौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर फीस 1000/– रूपये निर्धारित की जाती है जो प्रार्थी द्वारा मौके पर ही देय होगे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी हो।

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
नागौर

आदेश आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नागौर